डिकरी व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20 रूल 6–7, जाब्ता दीवानी)
(Civil Procedure Code, Appendix"D"-1)
अज अदालत सहायक कलक्टर नदबई
व इजलास श्री गंगाधर मीना ,आर.ए.एस

मु0 उनवान किशोरी बनाम सुनीता वगै0

दावा बाबत् 53, 188 रा0का0 अधिनियम

मुकदमा नंबर 178/2018

यह मुदकमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू ....– व हाजरी वादी मिनजानिब मुद्दई व .... मिनजानिब मुद्दालय पेश होकर , हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि

वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है कि आराजी खाता स. 478 के ख.न. 1240, 1241, किता 2 रकवा 0. 66 वाके ग्राम करही तहसील नदबई में स्थित है वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 23.09.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 23.09.2024 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव 23.09.2024 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकवे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

बेज – मुबलिग – – – – – – – बावत – – – – – – – – – – खर्चा इस मुकदमें के मयसुद व शरह ——————फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख के मुबयाबी तक —————— की अदा करें ।

दसब्त व मुहर अदालत के आज तारीख 04.11.2024 को जारी की गई ।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज.
सत्यमेव जयते

मुहर

दस्तखत—————— 4/11/24
सहायक कलक्टर नदबई जिला भरतपुर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दालय	रूपया	पैसा
स्टाम्प अराजी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमीश्नर			बवत इजराय हुक्मनामा		
बावत इजराय हुक्म नामा			मुतफर्रिक		
मुतफर्रिक					
मीजान			मीजान		

न्यायालय सहायक कलक्टर नदबई (भरतपुर)

(पीठासीन अधिकारी श्री गंगाधर मीना R.A.S.)

प्रकरण सं. 178/2018
जी.सी.एम.एस. नम्बर 2018/00330
किस्म दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आरटीए
निर्णय दिनांक 04.11.2024.

1. किशोरी पुत्र हंसा जाति जाटव निवासी करही तहसील नदबई(भरतपुर)

वादी

बनाम

1. सुनीता पत्नि रूपसिंह जाति जाटव निवासी करही तह. नदबई जिला भरतपुर।
2. रूपसिंह पुत्र गौपी जाति जाटव निवासी करही तह. नदबई जिला भरतपुर।
3. वीरेन्द्र पुत्र नेतू जाति जाटव निवासी करही तह. नदबई जिला भरतपुर।
4. सुखवीरी पत्नि वीरेन्द्र जाति जाटव निवासी करही तह. नदबई जिला भरतपुर।
5. सुगड़ पुत्र रामपाल जाति ज़ाटव निवासी करही तह. नदबई जिला भरतपुर।
6. शशी पत्नि नरेन्द्र जाति जाटव निवासी करही तह. नदबई जिला भरतपुर।
7. राज.सरकार जरिये तहसीलदार नदबई
8. बडौदा राज. क्षैत्रिय ग्रामीण बैंक बांसी खुर्द

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री लक्ष्मण सिंह एड.(वादी की ओर से)

श्री सुरेश महुरे एड (प्रतिवादीगण की ओर से)

निर्णय

दावा अंतर्गत धारा 53, 188 आर.टी.ए

1. यह कि हाल आराजी खाता स. 478 के ख.न. 1240, 1241, किता 2 रकवा 0.66 वाके ग्राम करही तहसील नदबई में स्थित है के वादी

4/11/24

1/2 हिस्से का व प्रतिवादी स. 1 1/2 हिस्से की सह खातेदार व काश्तकार है।

2. यह कि विवादित आराजी ख.न. 1240 रकवा 0.33 व 1241 रकवा 0.33 वाके करही पर वादी एवं प्रतिवादीगण सम्मिलित काबिज होकर काश्त करते चले आ रहे हैं। परन्तु प्रतिवादी स. 1 व प्रतिवादी स. 2 जो कि प्रतिवादी स. 1 का पति है के मन में बदयंति आ गई है। तथा ख.न. 1240 जो कि करही से ग्राम लुलहारा को सड़क जाती है से लगा हुआ है। जिस पर प्रतिवादी स. 10 2 जबरन लठ के बल पर अपना कब्जा कर लेने के प्रयास में है तथा प्रतिवादी स. 3 लगायत 6 को प्रतिवादी स. 2 के कहने पर प्रतिवादी स. 1 ने मौखिक रूप से प्लांट बना कर विक्रय कर दिया है। तथा उक्त प्रतिवादी स. 1 ने बिना किसी विभाजन के व बिना किसी कनवर्जन के विवादित खसरा नम्बरान 1240 में नींव खेद कर निर्माण के प्रयास में है। जिसके लिए उन्होने ईट टौरा डाल रखे है।

3. यह कि विवादित आराजी पर पूर्व की भातिं काश्त करना सम्भव नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में वादी विवादित आराजी वादी एवं प्रति के मध्य अच्छी मे से अच्छी व बुरी मे से बुरी आराजी के कुरेजात कायम कर पृथक–पृथक लगान कायम काराने के अधिकारी है।

4. अन्त में प्रार्थना है कि मद सं. 2 की आराजी के कुरेजात कायम कर अलग–अलग खाता लगान कायम किया जावे एवं प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वह वादी के हिस्से में मदाखलत मजामहत नहीं करें, रहनवयमुन्तकिल नहीं करे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 2 ,4 की ओर से श्री सुरेशसिंह व महावीरसिंह एडवोकेट उपस्थित हुए तथा शेष के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से जबाव दावा पेश किया गया जो शामिल पत्रावी किया गया।

उभयपक्षकारान के विद्वान अधिवक्तागणों की बहस बाद प्रारंभिक डिक्री किये जाने बाबत सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया तथा वाद वादी प्रारंभिक डिक्री दिनांक 21.08.2024 को किया जाकर वादपत्र मे दर्ज विवादित आराजीयात की बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर कुरेजात मंगवाए जाने हेतु तहसीलदार नदबई को आदेशित किया गया तथा तहसीलदार नदबई को बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस के आधार पर तथा राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए विभाजन प्रस्ताव मंगवाए जाने हेतु न्यायालय द्वारा आदेश पारित किए गए। तहसीलदार नदबई द्वारा न्यायालय के आदेश क्रमांक 771 दिनांक 05.7.24 की अनुपालना में विभाजन प्रस्ताव बाई मीट्स एण्ड

4/11/24

Scanned with OKEN Scanner

बाउण्डस के आधार पर एवं राजस्व मण्डल अजमेर के नियम [illegible] पालना करते हुए कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 23.09.2024 [illegible] एलआर/24/5226 दिनांक 08.10.2024 से भिजवाए गए। एवं [illegible] पर बहस हेतु पत्रावली नियत की गई।

उक्त तहसीलदार नदबई द्वारा कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 23.09.2024 [illegible] कि पत्रांक एलआर/24/5226 दिनांक 08.10.2024 से भिजवाए गए पर आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से पेश कि गई। उक्त कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 12.08.24 पर कुर्रा आपत्ति प्रार्थना पत्र वादी द्वारा जवाब आपत्ति कुर्रेजात दिनांक 21.10.24 को पेश किया गया। वास्ते बहस कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक 23.09.24 नियत की गई।

हमने उभयपक्षकारान के अधिवक्तागणों की बहस आपत्ति कुर्रा प्रस्ताव सुनी गई। वकील प्रतिवादी द्वारा बहस दौरान निवेदन किया कि दावा आराजी ख.न. 1240 व 1241 बाबत धारा 53 का पेश किया गया है। कुर्रेजात रिपोर्ट मौका के अनुरूप पेश नही कि गई। पक्षकारो को जो नोटिस जारी किये गये है। उनमें कोई तारीख नही दी गई है। ना उनके हसताक्षर है। ख.न. 1240 पर [illegible] किशोरी काश्त करता चला आ रहा है। एवं ख.न. 1241 पर प्रतिवादी सुनिता का कब्जा काश्त है। उक्त कुर्रा रिपोर्ट जो तैयार की गई है कुर्रा रिपोर्ट मौके के विपरीत बनाई गई है। इस प्रकार उक्त कुर्रा रिपोर्ट मौके एवं दिशा के विपरीत है अतः कुर्रा रिपोर्ट पुनः मंगवाई जावे।

वकील वादी/अप्रार्थी के अधिवक्ता ने दौरान बहस निवेदन किया कि विवादित आराजी वाके ग्राम करही पर स्थित है, ख.न. 1241 सड़क से लगा हुआ है। कुर्रा रिपोर्ट पर प्रतिवादी सुनिता ने हसताक्षर करने से मना किया गया है। कुर्रा रिपोर्ट मौका व काश्त अनुसार मौके पर जाकर तैयार कि गई है तथा कुर्रा रिपोर्ट राजस्व मण्ड़ल के नियम 18 से 21 कि पालना करते हुऐ बनाई गई है। अत आपत्ति कुर्रा एतराज खारिज किया जाकर दावा मुताबिक कुर्रा रिपोर्ट दिनांक 23.09.2024 अनुसार डिक्री किया जावें।

हमने उभयपक्षकारान की विद्वान अधिवक्तागणों की बहस आपत्ति कुर्रा रिपोर्ट सुनी गई, बहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध कुरेजात प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तो पाया कि तहसीलदार नदबई द्वारा जो कुर्रेजात प्रस्ताव दिनांक कुरेजात प्रस्ताव दिनाक 23.09.2024 जो कि पत्रांक एलआर/24/5226 दिनांक 08.10.2024 से भिजवाई गई का अवलोकन किया तो पाया कि कुरेजात प्रस्ताव मौके पर जाकर पक्षकारान को तलब कर [illegible] की उपस्थिति में राजस्व मण्डल अजमेर के नियम 18 से 21 की पालना करते हुए तथा कब्जेकाश्त को ध्यान में रखते हुए मौके के अनुसार तैयार कर भिजवाई गई है। अतः प्रतिवादी की आपत्ति कुरेजात प्रस्ताव खारिज किया [illegible]

4/11/24

Scanned with OKEN Scanner

(20)

प्रतीत होता है अतः आपत्ति कुरेजात प्रस्ताव खारिज किया जाकर मुताबिक कुरेजात प्रस्ताव दिनांक 23.09.2024 के अनुसार ही डिक्री किया जाना उचित है।

–::आदेश::–

अतः आदेश है कि वादी के वाद को स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति में वाद का अन्तिम निर्णय किया जाता है कि आराजी खाता स. 478 के ख.न. 1240, 1241, किता 2 रकबा 0.66 वाके ग्राम करही तहसील नदबई में स्थित है वादी व प्रतिवादी को कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 23.09.2024 के अनुसार खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। कुर्राजात प्रस्ताव दिनांक 23.09.2024 (प्रदर्श–अ) के अनुसार वादी व प्रतिवादी के नाम पृथक से खाता विभाजन कर लगान कायम किये जाने के आदेश दिये जाते है। कुर्राजात प्रस्ताव 23.09.2024 प्रदर्श–"अ" इस निर्णय व अन्तिम डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार नदबई रिकॉर्ड में अमल तरमीम करावें। एक दूसरे को मिलने वाले खसरे/कब्जे काश्त /हक अधिकार में, किसी तरह की दखल मजामहत, किसी भी रूप में, किसी भी माध्यम से, न करें, न करावें। रहन यदि कोई हो तो संबंधित खातेदार को प्राप्त होने वाले खसरे/रकबे/हिस्से के विरूद्ध दर्ज किया जावे। लगान आनुपातिक कायम करें।

निर्णय आज दिनांक 04.11.2024 को खुले न्यायालय में लिखया जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट नदबई (भरतपुर) राज. सत्यमेव जयते

4/11/24

(गंगाधर मीना R.A.S.)
सहायक कलक्टर नदबई
सहायक कलक्टर
नदबई जिला भरतपुर